THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD., NAVI MUMBAI

NO.CCI/HRD/MED/2023/1408 07.09.2023

CIRCULAR

Sub: Modification in reimbursement of medical expenses in respect of Indoor treatment/ Hospitalisation.

In continuation to the Circular No.CCI/HRD/Medical/2020 and CCI/HRD/PRMS/2020 dt.31.03.2020, further modification is made in reimbursement of medical expenses in respect of Hospitalisation of regular/ Ex-Employees of the corporation, which is as under:

1. The Scheme will cover for reimbursement of treatment taken as Indoor patient in a Government Hospital, Trust Hospital, CGHS/Income tax approved Hospital or CCI approved Hospital (having valid approval for the year of claim).
2. In case the treatment taken at hospitals other than mentioned at point no.1, then the hospital should have minimum 25 bedded.
3. The hospitalization on account of Gynecological (maternity) treatment and Cataract operation shall be kept out of minimum requirement of 25 bedded hospital.

The above circular will be applicable with immediate effect.

All Branch Heads are requested to note the above for compliance and bring to the notice of all existing and retired employees under their jurisdiction.

G.S

(G.Saroja)
Dy. General Manager (HRD)

To:

1. All Branch Heads.
2. All Section Heads at H.O.

Cc to:

for kind information please

1. Chairman-cum-Managing Director
2. Advisor (Sustainability)
3. Director (Marketing)
4. Director (Finance)
5. Chief Vigilance Officer
6. CGM, (Finance/Legal)
7. CGM (Marketing)
8. CGM (Finance)
9. General Secretary, AICCEC
10. General Secretary, SC/ ST/ OBC Welfare Assn
11. Notice Board – Kapas Bhavan, CBD Belapur, Navi Mumbai

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुंबई

सं. भाकनि/मासंवि/ चिकित्सा/2023/1408 07.09.2023

परिपत्र

विषय: इनडोर उपचार/अस्पताल में भर्ती के संबंध में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति में संशोधन।

दिनांक 31.03.2020 के परिपत्र सं. भाकनि/ मासंवि/चिकित्सा/2020 और भाकनि/ मासंवि/पीआरएमएस/ 2020 के क्रम में निगम के नियमित/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में चिकित्सा व्यय के प्रतिपूर्ति में आगे संशोधन किया गया है, जो इस प्रकार है:-

1. यह योजना सरकारी अस्पताल, ट्रस्ट अस्पताल, सीजीएचएस/आयकर अनुमोदित अस्पताल या भाकनि अनुमोदित अस्पताल (दावे के वर्ष के लिए वैध अनुमोदन वाले) में इनडोर रोगी के रूप में लिए गए उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति को कवर करेगी।

2. यदि मद संख्या 1 में उल्लिखित अस्पतालों के अलावा अन्य अस्पतालों में उपचार किया जाता है, तो अस्पताल न्यूनतम 25 बेड वाले होने चाहिए।

3. स्त्रीरोग संबंधी (मातृत्व प्रसूति) उपचार और मोतियाबिंद ऑपरेशन के कारण अस्पताल में भर्ती के मामले में 25 बेड वाले अस्पताल की न्यूनतम आवश्यकता से बाहर रखा जाएगा।

उपर्युक्त परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

सभी शाखा प्रमुखों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त के अनुपालन हेतु नोट करें और अपने अधीनस्थ सभी वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संज्ञान में लाएं।

जी. सरोजा

(जी. सरोजा)
उप महा प्रबंधक (मासंवि)

प्रति:
1. सभी शाखा प्रमुख
2. मुख्यालय के सभी अनुभाग प्रमुख

प्रतिलिपि:

कृपया सूचनार्थ
1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. सलाहकार (संधारणीयता)
3. निदेशक (विपणन)
4. निदेशक (वित्त)
5. मुख्य सर्तकता अधिकारी
6. मुख्य महा प्रबंधक (वित्त/विधि)
7. मुख्य महा प्रबंधक (विपणन)
8. मुख्य महा प्रबंधक (वित्त)
9. महासचिव, एआईसीसीईसी
10. महासचिव, एससी/ एसटी/ओबीसी कल्याण संघ
11. सूचना पट्ट - कपास भवन, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई